

पंजीकृत
प्रेषक

महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में,

हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या

यादी क्रमांक: 19/41-2025 प्रशा0 (1)
दिनांक, पंचकूला : 02-07-2025

विषय :- राजकीय महाविद्यालयों की आहरण एवं वितरण शक्तियों बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

निदेशालय द्वारा संबंधित राजकीय महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य न होने की स्थिति में नजदीकी महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उसी महाविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक को आहरण एवं वितरण शक्तियों बारे जो आदेश जारी किये जाते हैं उनकी तुरन्त प्रभाव से पालना नहीं की जाती है तथा मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। प्रायः किसी प्राध्यापक एवं प्राचार्य को किसी महाविद्यालय की आहरण एवं वितरण शक्तियां प्रदान की जाती है तो यह भी देखने में आया है कि उन द्वारा तुरन्त कार्यभार ग्रहण न करके विभिन्न परिस्थितियों का हवाला देते हुए आहरण एवं वितरण शक्तियां बदलने बारे पत्र भेज दिया जाता है, जिससे कि निदेशालय के आदेशों की अवहेलना होती है एवं संबंधित महाविद्यालय के अति आवश्यक वित्तीय कार्य जैसे कि स्टाफ की सैलरी, छात्रों की फीस, बिजली के बिल इत्यादि कार्य लम्बित रह जाते हैं।

अतः मुझे यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि आपको सूचित करूं कि निदेशालय द्वारा जारी आदेशों की तुरन्त प्रभाव से अनुपालना की जाये। कोताही बरतने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आदेशों की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करें।

It's change it with the original it's better.

M
22/7/25

M
अधीक्षक प्रशासन
कृते: महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।
R